न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी – श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 357 / 2022 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 29.07.2022	तारीख फैसला 12.12.2023

उनवान

1– नवरतन सिंह पुत्र रणजीत सिंह महाजन निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रूपा पत्नी गोपाल कुम्हार निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
2– शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 ए0

उपस्थिति – श्री नमन ओझा :– अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम आमलीकलां पटवार हल्का आमलीकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 2685 रकबा 2.02 है. दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी काबिज काश्त है। विपक्षीगण नं. 02 के यहां आराजियात् रहन होने से पक्षकार बनाया गया है तथा विपक्षीगण नं. 03 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थन पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित कृषि आराजी पर पहुंचने हेतु बिलानाम आराजी सं. 2708 / 3114 बूती के रास्ते से बदिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ बढते हुए विपक्षीगण नं. 01 की आराजी सं 2692, 2693, 2694 की दक्षिणी भुजा पर पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए अपनी आराजी सं. 2685 के बदिशा पूर्वी भुजा से प्रवेश करता है एवं कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। प्रार्थी उक्त 20 फिट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है। विपक्षीगण नं. 01 द्वारा पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते को करीब 15 दिन पूर्व आराजी सं. 2692 के पूर्वी दिशा में डोल डलवाकर व तारबंदी करवाकर अवरूद्ध कर दिया है। इस बाबत् प्रार्थी ने विपक्षीगण नं. 01 को ओलम्बा दिया तो विपक्षीगण नं. 01 आमादा फौजदारी हुआ। विपक्षीगण नं. 01 द्वारा रास्ता बन्द कर देने के कारण प्रार्थी अपनी आराजी पर आ जा नहीं सक रहा है। इस कारण प्रार्थी अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी को काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थी काश्तकार होकर उनका जीवन कृषि आधारित है। वर्तमान में काश्त का समय है परन्तु रास्ता नहीं होने से प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी पर पहुंचने के लिये पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ता जो कि विपक्षीगण नं. 01 की आराजी सं. 2692, 2693, 2694 की दक्षिणी भुजा पर पूर्व से पश्चिम होकर प्रार्थी की आराजी सं. 2685 तक जाता है को विपक्षीगण नं. 01 द्वारा बन्द कर देने से प्रार्थी अपनी आराजी काश्त करने से वंचित हो रहा है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को यदि उक्त रास्ता नहीं मिला तो प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पर नहीं पहुंच पायेंगा एवं न ही काश्त कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी और प्रार्थी अपनी कृषि आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंचने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु करीब 20 फिट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग किये जा रहे इस रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने से विपक्षीगण नं. 01 रास्ता अवरूद्ध कर आमादा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

फौजदारी हो रहा है। प्रार्थी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी पर पहुंचने के लिये पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ता जो कि विपक्षीगण नं. 01 की आराजी सं. 2692, 2693, 2694 की दक्षिणी भुजा पर पूर्व से पश्चिम होकर प्रार्थी की आराजी सं. 2685 तक पहुंचने के लिए जो रास्ता निकलेगा उस भूमि का मूल्यांकन कर प्रार्थी उक्त आराजी की भूमि का डीएलसी दर से नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थी का पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने हेतु नहीं है। ताईद में प्रार्थी का शपथपत्र प्रस्तुत हे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ता जो कि विपक्षीगण नं. 01 की आराजी सं. 2692, 2693, 2694 की दक्षिणी भुजा पर पूर्व से पश्चिम होकर प्रार्थी की आराजी सं. 2685 तक पहुंचने के लिए 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें साथ ही उक्त रास्ते का डीएलसी दर से नियमानुसार, आदेशानुसार राशि जमा कराने का आदेश कर रास्ते का इन्द्राज करते हुए नक्शे में भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावें ।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 10.10.2022 को विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 19.06.2023 तक विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामिल हो सूचित होने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 06.11.2023 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 810 दिनांक 19.10.2023 से भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दिनांक 12.12.2023 को प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने बताया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने पर प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। एवं तहसीलदार शाहपुरा से रास्ता हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की जो भी राशि बनेगी वह प्रार्थीगण राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलाने की कृपा करावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की आराजियात पर आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया आवश्यक बताया गया है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम बताया गया अतः भू0अ0निरीक्षक आमली कलां एवं पटवारी हल्का आमली कलां की संयुक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं रास्ता प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग मीटर में	रास्ते हेतु वांछित भूमि का रकबा है0 में	वि0वि0
1.	रूपी पत्नी गोपाल कुम्हार निवासी आमली कलां रहन एस.बी.आई. शाहपुरा	2692	0.26	55 × 4	0.0220	विपक्षीगण सं0 01
2.		2693	0.24	48 × 4	0.0192	विपक्षीगण सं0 01
3.		2694	0.33	40 × 4	0.0160	विपक्षीगण सं0 01

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम आमली कलां प0म0 आमली कलां तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 2685 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 की आराजी सं0 2692 रकबा 0.26 है0 में से 55 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0220 है0 भूमि, आराजी नम्बर 2693 रकबा 0.24 है. में से 48 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0192 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

एवं आराजी नम्बर 2694 रकबा 0.33 है. में से 40 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0160 है0 भूमि की आवश्यकता होगी।

उक्त सारणी में अंकित विपक्षी के सामने कॉलम सं0 06 में अंकित रास्ते हेतु आवश्यक भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि संबंधित काश्तकारान को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 12.12.2023 सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रास्ते हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को भुगतान करने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)